



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1544]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 28, 2010/श्रावण 6, 1932

No. 1544]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 28, 2010/SHRAVANA 6, 1932

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2010

सं. 65/2010-आयकर

का.आ. 1849(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उप-धारा (1) एवं (2) में प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एतद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना संख्या का.आ. 732(अ), दिनांक 3 जुलाई, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :—

1. उक्त अधिसूचना में, अनुसूची 1 में, क्रमांक 1, 2, 3 एवं 4 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के लिए, निम्नलिखित क्रमांक एवं प्रविष्टियां क्रमशः प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"1.	आयकर आयुक्त, हैदराबाद-1	हैदराबाद, आंध्र प्रदेश राज्य में, आंध्र प्रदेश हैदराबाद एवं रंगारेड्डी जिले	—	(क) कालम (6) की मद (क) में उल्लिखित व्यक्ति, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी है तथा उनका पंजीकृत कार्यालय कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में है; (ख) कालम (6) की मद (ख) में उल्लिखित	(क) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत तथा 'ए' या 'बी' या 'सी' या 'डी' या 'एफ' अक्षर में से किसी से नाम शुरू होने वाली

				<p>व्यष्टि के रूप में व्यक्ति;</p> <p>(ग) कालम (6) की मद (ग) में उल्लिखित तथा कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे व्यक्ति या हिन्दू अविभाजित परिवार के रूप में व्यक्ति;</p> <p>(घ) कालम (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यक्ति जो कम्पनी से भिन्न हैं तथा व्यवसाय या पेशा से भिन्न स्रोतों से आय आहरित करते हैं एवं कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं;</p> <p>(ङ.) कालम (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यक्ति जो कम्पनी से भिन्न हैं तथा व्यवसाय या पेशा से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान कालम (4) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर है;</p> <p>(च) कालम (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यक्ति, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी हैं तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में है।</p>	<p>कम्पनियों के मामले में;</p> <p>(ख) ऐसे व्यक्ति के मामले में, जो उपर्युक्त मद (क) में उल्लिखित कम्पनियों में निदेशक या प्रबंध निदेशक या प्रबंधक या सचिव हैं;</p> <p>(ग) व्यक्ति जिनकी आय का प्रमुख स्रोत 'वेतन' से है;</p> <p>(घ) ऐसे व्यक्ति जिनकी आय का प्रधान स्रोत मूवी, फिल्म, टेलीविजन, संगीत, कला, फोटोग्राफी एवं समान स्वरूप के ऐसे अन्य मनोरंजन उद्योग से संबंधित किसी गतिविधि से है, जिसमें श्रव्य या दृश्य निर्माण, वितरण, डिस्प्ले, साफ्टवेयर</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

					सहायता, अवसंरचना सहायता, तकनीकी सहायता, वित्त पोषण, स्टेज शो के अलावा कलाकारों, वीडियो एवं डिस्क जाकी, केबल एवं रेडियो आपरेटर के मामले में शामिल हैं।
2.	आयकर आयुक्त, हैदराबाद-II	हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश राज्य में,- (क) हैदराबाद एवं रंगा रेड्डी जिले	(क) कालम (6) के मद (क) में उल्लिखित व्यक्ति, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी हैं तथा उनका पंजीकृत कार्यालय कालम (4) में उल्लिखित क्षेत्र में है तथा क्रमांक 1 के कालम (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यक्तियों से भिन्न हैं; (ख) कालम (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि के रूप में व्यक्ति;	(क) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत तथा 'ई' या 'जी' या 'एच' या 'आई' या 'जे' या 'के' या 'टी' अक्षर में से किसी से नाम शुरू होने वाली कम्पनियों के मामले में; (ख) ऐसे व्यष्टि के मामले में, जो उपर्युक्त मद (क) में उल्लिखित कम्पनियों में निदेशक या प्रबंध निदेशक या प्रबंधक या सचिव हैं;
			(ख) (i) हैदराबाद के	(ग) कालम (6) की मद (ग) में उल्लिखित	(ग) व्यक्ति जिनकी

	<p>नगर पालिका वार्ड 8(3), 19 एवं 21 तथा (ii) रंगा रेड्डी जिले के मंडल।</p> <p>(क) राजेन्द्र नगर (ख) शामसाबाद (ग) महेश्वरम (घ) मोइनाबाद (ङ) शेरिलिंगमपल्ली (च) विकराबाद (छ) शाबाद (ज) चेवेल्ला (झ) नवाबपेट (ञ) मोमिनपेट (ट) बशीराबाद (ठ) यलाल (ड) तंदुर (ढ) दारूर (ण) पार्गी (त) डोना (थ) गनडीड (द) मरपल्ली (ध) कुल्कीचेरिया</p>	<p>व्यक्ति जो कम्पनी से भिन्न हैं तथा व्यवसाय या पेशा से भिन्न स्रोतों से आय आहरित करते हैं एवं कालम (4) की मद (ख) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं;</p> <p>(घ) कालम (6) मद (ग) में उल्लिखित व्यक्ति जो कम्पनी से भिन्न हैं तथा व्यवसाय या पेशा से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान कालम (4) की मद (ख) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर है;</p>	<p>आय का प्रमुख स्रोत 'वेतन' से है;</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------

			<p>(न) पुदुर (न) पेड्डैमुल (प) शंकरपल्ले (फ) बंताराम</p>	
		<p>(ग) करीम नगर जिला (घ) मेडक जिले के मंडल</p> <p>(क) संगारेड्डी (ख) सदाशिवपेट (ग) जहिराबाद (घ) कोवडपल्ले (ड) झारसंगम (च) कल्हेर (छ) कोहिर (ज) कौंडापुर (झ) कांगती (ञ) मानूर (ट) मुनपल्ली (ठ) नारायणखेड (ड) न्यालकल (ढ) पतनचेरु (ण) रामचंद्रपुरम (त) रायकोडे</p>	<p>(ड.) कालम (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यक्ति जो कम्पनी से भिन्न हैं तथा व्यवसाय या पेशा से भिन्न स्रोतों से आय आहरित करते हैं एवं कालम (4) की मद (ग) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं;</p> <p>(च) कालम (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यक्ति जो कम्पनी से भिन्न हैं तथा व्यवसाय या पेशा से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान कालम (4) की मद (ग) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर है;</p> <p>(छ) कालम (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यक्ति, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी हैं तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय कालम (4) की मद (ग) में उल्लिखित क्षेत्र में है।</p> <p>(ज) कालम (6) की मद (ड.) में उल्लिखित व्यक्ति के रूप में व्यक्ति;</p>	<p>(घ) कालम (5) की मद (ड.), (च) एवं (छ) की तदनुरूपी प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले;</p> <p>(ड.) ऐसे व्यक्ति के मामले में, जो उपर्युक्त कालम (5) की मद (छ) में उल्लिखित कम्पनियों में निदेशक या प्रबंध निदेशक या प्रबंधक या सचिव हैं;</p>

			(थ) अंडोले (द) पुलकाल (ध) रगोडे (न) अल्लादुर्ग (न) टेकमल (प) जिन्नाराम (फ) पापनपेट (ब) कुल्चाराम (भ) नर्सीपुर (मे) हटनूर		
3.	आयकर आयुक्त, हैदराबाद-III	हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश राज्य में,- (क) हैदराबाद एवं रंगा रेड्डी जिले	(क) कालम (6) की मद (क) में उल्लिखित व्यक्ति, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी हैं तथा उनका पंजीकृत कार्यालय कालम (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र में है तथा क्रमांक 1 के कालम (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यक्तियों से भिन्न हैं; (ख) कालम (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि के रूप में व्यक्ति;	(क) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत तथा 'आर' या 'एस' या 'यू' या 'वी' या 'डब्ल्यू' या 'एक्स' या 'वाई' या 'जेड' अक्षर से नाम शुरू होने वाली कम्पनियों के मामले में; (ख) ऐसे व्यक्ति के मामले में, जो उपर्युक्त मद (क) में उल्लिखित कम्पनियों में निदेशक या प्रबंध निदेशक या प्रबंधक

				या सचिव है;	
			<p>(ख) हैदराबाद नगर पालिका वार्ड 6, 7, 8 (1), 8(2), 8(4) एवं 9</p> <p>(ग) कालम (6) की मद (ग) में उल्लिखित व्यक्ति जो कम्पनी से भिन्न हैं तथा व्यवसाय या पेशा से भिन्न स्रोतों से आय आहरित करते हैं एवं कालम (4) की मद (ख) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं;</p> <p>(घ) कालम (6) के मद (ग) में उल्लिखित व्यक्ति, जो कम्पनियों से भिन्न हैं तथा व्यवसाय या पेशा से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान कालम (4) की मद (ख) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में है तथा जो क्रमांक 1 के कालम (6) की मद (ख) द्वारा शामिल नहीं हैं;</p>	<p>(ग) जिनकी आय का प्रमुख स्रोत 'वेतन' से है उनसे भिन्न मामले;</p>	
			<p>(ग) कुरनूल जिला (घ) मेडक जिले के मंडल</p> <p>(क) सिड्डीपेट (ख) गजवेल (ग) वारगल (घ) नंगानूर (ङ) जगदेवपुर (च) कौंडापक (छ) मुलुगू (ज) चिन्नाकोडूर</p>	<p>(ड.) कालम (6) की मद (घ) में उल्लिखित सभी मामले जो कम्पनी से भिन्न हैं तथा व्यवसाय या पेशा से भिन्न स्रोतों से आय आहरित करते हैं एवं कालम (4) की मद (ग) एवं (घ) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं;</p> <p>(च) कालम (6), मद (घ) में उल्लिखित व्यक्ति जो कम्पनी से भिन्न हैं तथा व्यवसाय या पेशा आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान कालम (4) की मद (ग) एवं (घ) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्तर्गत है;</p>	<p>(घ) कालम (5) की मद (ड.), (च) एवं (छ) की तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले;</p> <p>(ड.) ऐसे व्यक्ति के मामले में, जो उपर्युक्त कालम (5) की मद (छ) में उल्लिखित कम्पनियों में निदेशक या प्रबंध</p>

			(झ) डुबक (ञ) मिरडोडडी (ट) दौलताबाद (ठ) तूपरन (ड) चेगूटा (ढ) शंकरमपेट (चिन्ना) (ण) रामायमपेट (त) मेडक (थ) शंकरमपेट(ए) (द) शिवापेट (ध) चेलदुर्धी	(छ) कालम (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यक्ति, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनी हैं तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय कालम (4) की मद (ग) एवं (घ) में उल्लिखित क्षेत्र में है; (ज) व्यक्ति जो कालम (6) की मद (ड.) में व्यष्टि के रूप में उल्लिखित हैं।	निदेशक या प्रबंधक या सचिव हैं;
4.	आयकर आयुक्त, हैदराबाद-IV	हैदराबाद, आंध्र प्रदेश	आंध्र प्रदेश राज्य में,- (क) हैदराबाद एवं रंगा रेड्डी जिले	(क) कालम (6) की मद (क) में उल्लिखित व्यक्ति, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय कालम (4) की मद (क) में उल्लिखित क्षेत्र में है तथा जो क्रमांक 1 के कालम 6 की मद (घ) द्वारा शामिल नहीं हैं; (ख) व्यक्ति, जो कालम (6) की मद (ख) में उल्लिखित व्यष्टि हैं;	(क) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत तथा 'एल' या 'एम' या 'एन' या 'ओ' या 'पी' या 'क्यू' अक्षर में से किसी से नाम शुरू होने वाली कम्पनी के मामले में; (ख) व्यष्टि के मामले में, जो उपर्युक्त मद (क) में उल्लिखित कम्पनियां

					में निदेशक या प्रबंध निदेशक या प्रबंधक या सचिव है;
		(ख) आंध्र प्रदेश राज्य में, हैदराबाद के नगर पालिका वार्ड 1 से 5	(ग) कालम (6) की मद (ग) में उल्लिखित व्यक्ति, कम्पनियों से भिन्न जो व्यवसाय या पेशा से आय से भिन्न स्रोतों से आय आहरित करते हैं तथा कालम (4) की मद (ख) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं; (घ) कालम (6) की मद (ग) में उल्लिखित व्यक्ति, कम्पनियों से भिन्न जो व्यवसाय या पेशा से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान कालम (4) की मद (ख) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अन्दर हैं;	(ग) व्यक्ति जिनकी आय का प्रमुख स्रोत 'वेतन' से भिन्न है;	
		(घ) महबूबनगर जिला	(ड.) कालम (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यक्ति, कम्पनियों से भिन्न जो व्यवसाय या पेशा से आय से भिन्न स्रोतों से आय आहरित करते हैं तथा कालम (4) मद (ख) में उल्लिखित भौगोलिक क्षेत्र के अंदर रहते हैं; (च) कालम (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यक्ति, कम्पनियों से भिन्न जो व्यवसाय या पेशा से आय आहरित करते हैं तथा जिनके व्यवसाय का प्रधान स्थान कालम (4) की मद (ख) में उल्लिखित	(घ) कालम (5) की मद (ड.), (च) एवं (छ) की तदनुसूची प्रविष्टियों में उल्लिखित व्यक्तियों के सभी मामले; (ड.) व्यष्टि के मामले में, जो कालम (5) क मद (छ) में उल्लिखित कम्पनियों में निदेशक या	

				<p>भौगोलिक क्षेत्र के अंदर है;</p> <p>(छ) कालम (6) की मद (घ) में उल्लिखित व्यक्ति, जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत पंजीकृत कम्पनियां हैं तथा जिनका पंजीकृत कार्यालय कालम (4) की मद (ख) में उल्लिखित क्षेत्र में है;</p> <p>(ज) कालम (6) की मद (ड.) में उल्लिखित व्यक्ति के रूप में व्यक्ति।</p>	<p>प्रबंध निदेशक या प्रबंधक या सचिव है”</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

[फा. सं. 187/28/2005-आ.क.नि.-1]

रमण चोपड़ा, निदेशक (आ.क.नि.-1)

टिप्पणी:- प्रधान अधिसूचना भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्या का.आ. 732 (अ), दिनांक 31 जुलाई, 2001 के तहत प्रकाशित की गई तथा अंतिम बार संख्या का.आ. 1843 (अ), दिनांक 27 जुलाई, 2010 के तहत संशोधित की गई।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2010

No. 65/2010-Income-Tax

S.O. 1849(E).— In exercise of the powers conferred in sub-sections (1) and (2) of section 120 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following amendments to the notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes number S.O. 732(E) dated 3rd July, 2001, namely:-

1. In the said notification, in Schedule-I, for serial numbers 1,2,3, and 4 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall, respectively, be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Commissioner of Income Tax, Hyderabad-I	Hyderabad, Andhra Pradesh	In the State of Andhra Pradesh, - Districts of Hyderabad and Ranga Reddy.	(a) Persons referred to in item (a) of column (6), being companies registered under the Companies Act, 1956 and having registered office in the area mentioned in column (4); (b) persons being individual referred to in item (b) of column (6);	(a) In the case of companies registered under the Companies Act, 1956 with the name beginning with any of the alphabet 'A', or 'B' or 'C' or 'D' or 'F'; (b) In the case of an individual, who is a director or a managing director or a manager or a secretary in the companies mentioned at item (a) above;

				<p>(c) persons being individual or Hindu Undivided Family, referred to in item (c) of column (6), and residing within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(d) persons referred to in item (d) of column (6) being other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(e) persons referred to in item (d) of column (6), being other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in column (4);</p> <p>(f) persons referred to in item (d) of column (6), being companies registered under the Companies Act, 1956, and having registered</p>	<p>(c) persons having principal source of income from 'salary';</p> <p>(d) persons whose principal source of income is from any activity associated with movies, films, television, music, art, photography and such other entertainment industry of similar nature, including audio or video production, distribution, display, software support, infrastructural support, technical support, financing, stage shows and also including cases of artists, video and disc jockeys, cable and radio operators.</p>
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				office in the area mentioned in column (4).	
2.	Commissioner of Income Tax, Hyderabad-II	Hyderabad, Andhra Pradesh	In the State of Andhra Pradesh - (a) Districts of Hyderabad and Ranga Reddy.	(a) Persons referred to in item (a) of column (6), being companies registered under the Companies Act, 1956 and having registered office in the area mentioned in column (4) and other than persons referred to in item (d) of column 6 of Serial No. 1; (b) persons being individual referred to in item (b) of column (6);	(a) In the case of companies registered under the Companies Act, 1956 with the name beginning with any of the alphabet 'E', or 'G' or 'H' or 'I' or 'J' or 'K' or 'T'; (b) In the case of an individual, who is a director or a managing director or a manager or a secretary in the companies mentioned at item (a) above;
			(b)(i) Municipal Wards 8(3), 19 and 21 of Hyderabad and (ii) Mandals of Ranga Reddy District. (A) Rajendra Nagar (B) Shamsabad (C) Maheswaram (D) Moinabad (E) Sherilingampally (F) Vikarabad (G) Shabad (H) Chevella (I) Nawabpet (J) Mominpet (K) Basheerabad	(c) persons referred to in item (c) of column (6) being other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (d) persons referred to in item (c) of column (6), being other than companies deriving income from business or profession and whose	(c) persons whose principal source of income is other than from 'Salary';

			<p>(L) Yalal (M) Tandur (N) Darur (O) Pargi (P) Dona (Q) Gandeed (R) Marpally (S) Kulkicheria (T) Pudur (U) Peddemul (V) Shankarpalle (W) Bantaram</p>	<p>principal place of business is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);</p>	
		<p>(c) District of Karimnagar</p> <p>(d) Mandals of Medak District:</p> <p>(A) Sangareddy (B) Sadasivapet (C) Zahirabad (D) Kowdipalle (E) Jharasangam (F) Kalher (G) Kohir (H) Kondapur (I) Kangti (J) Manoor (K) Munpally (L) Narayankhed (M) Nyalkal (N) Patancheru (O) Ramachandrapuram (P) Raikode (Q) Andole (R) Pulkal (S) Ragode</p>	<p>(e) persons referred to in item (d) of column (6) being other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (c) of column (4);</p> <p>(f) persons referred to in item (d) of column (6), being other than companies, deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in item (c) of column (4); and</p> <p>(g) persons referred to in item (d) of column (6)</p>	<p>(d) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (e), (f) and (g) of column (5);</p> <p>(e) In the case of an individual, who is a director or a managing director or a manager or a secretary in the companies mentioned at item (g) of column (5).</p>	

			(T) Alladurg (U) Tekmal (V) Jinnaram (W) Papannapet (X) Kulcharam (Y) Narsapur (Z) Hatnoor	being companies registered under the Companies Act, 1956, and having registered office in the area mentioned in item (c) of column (4); (h) persons, being individual referred to in item (e) of column (6).	
3.	Commissioner of Income-tax, Hyderabad-III	Hyderabad, Andhra Pradesh	In the State of Andhra Pradesh, - (a) Districts of Hyderabad and Ranga Reddy.	(a) Persons referred to in item (a) of column (6), being companies registered under the Companies Act, 1956, and having registered office in the area mentioned in item (a) of column (4) and other than persons referred to in item (d) of column 6 of Serial No. 1; (b) persons being individual referred to in item (b) of column (6);	(a) In the case of companies registered under the Companies Act, 1956 with the name beginning with any of the alphabet 'R', or 'S' or 'U' or 'V' or 'W' or 'X' or 'Y' or 'Z'; (b) In the case of an individual, who is a director or a managing director or a manager or a secretary in the companies mentioned at item (a) above;
			(b) Hyderabad Municipal Wards, 6, 7, 8(1), 8(2), 8(4) and 9.	(c) persons referred to in item (c) of column (6), other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing	(c) Cases other than those whose principal source of income is from 'Salary';

				<p>within the territorial area mentioned at item (b) of column (4);</p> <p>(d) persons referred to in item (c) of column (6), other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4) and who are not covered by item (d) of column 6 of Serial No. 1;</p>	
			<p>(c) District of Kurnool. (d) Mandals of Medak District. (A) Siddipet (B) Gajwel (C) Wargal (D) Nanganoor (E) Jagdevpur (F) Kondapak (G) Mulugu (H) Chinna Kodur (I) Dubbak (J) Mirdoddi (K) Doultabad (L) Toopran (M) Chegunta (N) Shankarampet (Chinna) (O) Ramayampet (P) Medak (Q) Shankarampet (A)</p>	<p>(e) all cases referred to in item (d) of column (6), other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial areas mentioned in items (c) and (d) of column (4);</p> <p>(f) persons referred to in item (d) of column (6), other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial areas mentioned in items (c) and (d) of column (4);</p>	<p>(d) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (e), (f) and (g) of column (5);</p> <p>(e) In the case of an individual, who is a director or a managing director or a manager or a secretary in the companies mentioned at item (g) of column (5).</p>

			(R) Shivajinpet (S) Yeldurthy	(g) persons referred to in item (d) of column (6), being companies registered under the Companies Act, 1956 and having registered office in the areas mentioned in items (c) and (d) of column (4); (h) persons, being individual referred to in item (e) of column (6).	
4.	Commissioner of Income-tax, Hyderabad-IV	Hyderabad, Andhra Pradesh	In the State of Andhra Pradesh, - (a) Districts of Hyderabad and Rangareddy Districts.	(e) Persons referred to in item (a) of column (6), being companies registered under the Companies Act, 1956, and having registered office in the area mentioned in item (a) of column (4) and who are not covered by item (d) of column 6 of Serial No. 1; (b) persons, being individual referred to in item (b) of column (6);	(a) In the case of company registered under the Companies Act, 1956 with the name beginning with any of the alphabet 'L', or 'M' or 'N' or 'O' or 'P' or 'Q'; (b) In the case of an individual, who is a director or a managing director or a manager or a secretary in the companies mentioned at item (a) above;
			(b) In the State of Andhra Pradesh, Hyderabad Municipal Wards 1 to 5 of Hyderabad.	(c) persons referred to in item (c) of column (6), being other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the	(c) persons whose principal source of income is other than 'Salary';

				territorial area mentioned in item (b) of column (4); (d) persons referred to in item (c) of column (6), being other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);	
			(c) District of Mahabubnagar	(e) persons referred to in item (d) of column (6), being other than companies deriving income from sources other than income from business or profession and residing within the territorial area mentioned in item (b) of column (4); (f) persons referred to in item (d) of column (6), being other than companies deriving income from business or profession and whose principal place of business is within the territorial area mentioned in item (b) of column (4);	(d) all cases of persons referred to in corresponding entries in items (e), (f) and (g) of column (5); (e) in the case of an individual, who is a director or a managing director or a manager or a secretary in the companies mentioned at item (g) of column (5)."

				<p>(g) persons referred to in item (d) of column (6), being companies registered under the Companies Act, 1956 and having registered office in the area mentioned in item (b) of column (4);</p> <p>(h) persons, being individual referred to in item (e) of column (6).</p>	
--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

This notification shall come into force from the date of publication in the Official

[F. No. 187/28/2005-ITA-I]
RAMAN CHOPRA, Director (ITA-I)

Note:—The principal notification was published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide*, number S.O.732(E), dated the 31st July, 2001 and lastly amended, *vide*, number S.O. 1843(E), dated 27th May, 2010.